जनपद न्यायालय, सोनभद्र

- नीलामी की सूचना-

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र के आदेश दिनांक- 23.06.2021 के अनुपालन में कम्प्यूटर अनुभाग में लगे हिताची ए.सी. (02 टन) की नीलामी कण्डम/ निष्प्रयोज्य गुड्स कमेटी, जनपद न्यायालय सोनभद्र के समक्ष दिनांक- 11/10/2021 को सायं 04:00 बजे न्यायालय परिसर में करायी जानी सुनिश्चित की गयी है।

इच्छुक व्यक्ति उक्त ए.सी. का निरीक्षण दिनांक- 08.10.2021 को कम्प्यूटर अनुभाग मे जाकर समय अपराह्न 01:00 बजे से 03:00 बजे के बीच कर सकते है।

-: नीलामी की नियम व शर्ते :-

1. बोली में भाग लेने हेतु रुपये 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) नगद सुरक्षा धनराशि नीलामी प्रक्रिया से 02 घण्टे पूर्व में नजारत अनुभाग में केन्द्रीय नाजिर के पास जमा कराना होगा।
2. ए.सी. सम्बन्धित उपकरण कण्डम/ निष्प्रयोज्य घोषित सामानो की संयुक्त रुप से नीलामी की जायेगी।
3. उच्चतम/ अन्तिम बोली की नीलामी की धनराशि का एक चौथाई (¼) भाग दिनांक- 12.10.2021 को जमा करना होगा एवं शेष तीन चौथाई (¾) भाग धनराशि बोली स्वीकृत होने के पश्चात् जमा करना होगा। यदि उच्चतम बोली कर्ता नीलामी की धनराशि का एक चौथाई भाग दूसरे दिन जमा नहीं करेगा तो उसकी बोली को निरस्त कर सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। और द्वितीय उच्चतम बोली कर्ता को अवसर प्रदान किया जायेगा।
4. बोली की सम्पूर्ण धनराशि नजारत अनुभाग में जमा करने के पश्चात ही कम्प्यूटर अनुभाग से हिताची ए.सी. प्राप्त की जा सकती है।
5. नीलामी को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार या वाद-विवाद की स्थिति में सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र को होगा।

Pankaj Srivastava
30-09-2021
(पंकज श्रीवास्तव)
सदस्य
निष्प्रयोज्य एवं कण्डम गुड्स समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट),
सोनभद्र

30/09/2021
(आशुतोष कुमार सिंह)
सदस्य
निष्प्रयोज्य एवं कण्डम गुड्स समिति
अपर जनपद न्यायाधीश (एफ.टी.सी.),
सोनभद्र

30-09-2021
(अशोक कुमार-XI)
अध्यक्ष
निष्प्रयोज्य एवं कण्डम गुड्स समिति
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट नं. 04,
सोनभद्र

प्रतिलिपिः

1. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय सोनभद्र नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने एवं समाचार पत्रो में प्रकाशन हेतु।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सोनभद्र को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, जनपद न्यायालय सोनभद्र को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
4. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट एवं जनपद न्यायालय, सोनभद्र के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।